रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 284] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 1975/आश्विन 17, 1897

No. 284] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 1975/ASVINA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October 1975

G.S.R. 520(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 165/72-Central Excises, dated the 10th July, 1972, namely:—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and word "9th October, 1975", the figures, letters and word "9th October, 1976" shall be substituted.

[No. 216/75-CE/F. No. 54/1/74-CX.2]

K. NARASIMHAN, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पादशुल्क

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1975

सा० का० नि० 520(अ).—केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 165/72–केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 10 जुलाई, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, "9 अक्तूबर, 1975" अंकों और शब्द के स्थान पर "9 अक्तूबर, 1976" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं० 216/75 के० उ० शु० का० सं० 54/1/74–के० उ० शु०–2]

के० नरसिम्हन, अतिरिक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975